भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3448

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राजस्थान में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

3448. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में राजस्थान के कितने जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) संचालित है;

(ख) 31 मार्च, 2026 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

(ग) क्या टोंक और सवाई माधोपुर जिलों के जिला अस्पतालों में आवश्यक मनोचिकित्सकों एवं परामर्शदाताओं वाले कार्यशील डीएमएचपी दल उपलब्ध हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान से टेली-मानस सेवाओं के माध्यम से कितनी कॉल प्राप्त हुईं तथा उक्त जिलों से कितने मामलों को प्रत्यक्ष मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु रेफर किया गया; और

(ङ) उक्त जिला अस्पतालों में मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों तथा परामर्शदाताओं के रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) के माध्यम से नागरिकों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। वर्तमान में, राजस्थान में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) टोंक और सवाई माधोपुर सहित सभी 41 ज़िलों में कार्यशील है।

वर्ष 2025-26 के दौरान राजस्थान से टेली-मानस सेवाओं के माध्यम से प्राप्त कॉलों की संख्या और उन ज़िलों से वैयक्तिक रूप से मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए भेजे गए मामलों की संख्या निम्नानुसार है:

जिले का नाम	कॉलों पर की गई कार्रवाई की कुल संख्या	वैयक्तिक रूप से रेफ़रल की संख्या
टोंक	299	14
सवाई माधोपुर	393	16

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता संबंधी स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने तथा विशिष्ट स्तर की उपचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केंद्रों को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने मनोचिकित्सा विशेषज्ञताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों को भी सहायता प्रदान की है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, देश के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों को कार्य करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते हैं:

I. ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उन्हें आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों के जन स्वास्थ्य केंद्रों में सेवा देना आकर्षक लगे।

II. विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए राज्यों को "यू कोट वी पे" जैसी लचीली कार्यनीतियों सहित आपसी सहमति से वेतन तय करने की अनुमति भी दी गई है।

III. दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में वरीयता प्रवेश जैसे गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था।

IV. विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए एनएचएम के तहत चिकित्सकों के बहु-कौशल विकास को भी बढ़ावा दिया जाता है।
